प्रेस विज्ञप्ति

29/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दर्ज किया है, जिसमें सानचुंगा और अन्य के मामले में कुर्क की गई 2.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति (नकद राशि) को जब्त करने की प्रार्थना की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने इसके दिनांक 28/02/2024 के आदेश द्वारा 2.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त कर ली है, तथा चूंकि इसे अपराध की आय घोषित किया गया था, अतः इसे केंद्र सरकार को सौंप दिया गया।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि दवाइयां जिसमें स्यूडोएफ़ेड्रिन समाविष्ट करते हुए 176.5 किग्रा. मात्रा में खुली गोलियाँ, जिसका उपयोग शक्तिशाली मादक और साइकोट्रोपिक पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है, एक वाहन से बरामद की गई थी, जिसमें उत्तर-पूर्व के चार आरोपी व्यक्ति नामतः सांगचुंगा, ज़ोसांगा उर्फ सांगा, लालनुन्हुइया और देवीथंग शामिल थे।

जांच के बाद, ईडी ने अगस्त, 2018 में नकदी के रूप में 2.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त की और माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उक्त अनंतिम कुर्की आदेश की विधिवत पुष्टि मार्च, 2019 में की, इसके बाद जून 2019 में, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष सांगचुंगा, ज़ोसंगा, लालनुन्हुइया और देवीथांग के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। माननीय न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया।

चूंकि आरोपी व्यक्ति समनों का पालन करने में विफल रहे, माननीय ट्रायल कोर्ट ने इसके आदेश दिनांक 07.10.2022 के द्वारा उन्हें "उद्घोषित अपराधी" घोषित कर दिया।